

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 3(9)गृह-1/2024 (19125)

जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षरित दिनांक

-: आज्ञा :-

राजस्थान फॉरेंसिक विज्ञान सेवा नियम, 1979 के नियम 31 के अन्तर्गत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में निम्नांकित सहायक निदेशक अधिकारियों को परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से एतद्द्वारा स्थाई किया जाता है:-

क्र०सं०	नाम अधिकारी (सुश्री/सर्वश्री)	पदस्थापन स्थान	कार्यग्रहण दिनांक	स्थाईकरण की दिनांक
1	2	3	4	5
1	डॉ. रामकिशन कुमावत सहायक निदेशक (डीएनए)	क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भरतपुर हाल मुख्य प्रयोगशाला, जयपुर	09.10.2024	09.10.2025
2	श्री राकेश शर्मा सहायक निदेशक (डीएनए)	क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला कोटा हाल क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर।	13.11.2024	13.11.2025

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रत्नेश कुमार शर्मा)

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा० राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, हरीशचन्द्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (ओटीएस) जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. संबधित अधिकारी मार्फत निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

